

7-6-24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 18-6-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

18/6/24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर पेश हुए जिसे ऑफिस पर किये गये। विपक्षीगण उपस्थित, विपक्षीगण के खिचकी मर्चा भ्रवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, उनके विरुद्ध एक बरफा कार्यवाही दिवे आर्जे का क्षादेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर शां पड दिया गया। पत्रावली के खल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा



नम्बर व ल  
अहकाम ज  
हुक्म की व  
में जारी

राजस्थान -सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

क्रमा संख्या - 288/24 प्राण

श्री सुरेश-चन्द्र s/o श्री मांगीलाल जाट निवासी- एकलिंगपुरा तह माण्डल

प्राण

बनाम

श्री धर्मराज s/o श्री मांगीलाल जाट निवासी- एकलिंगपुरा तह माण्डल [कौरा]  
[संबंधित प्राण प्राण संलग्न]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 18-6-24

::आदेश::

ओं की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया के  
1. एकलिंगपुरा.....पटवार हल्का..... बरठा.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की  
आराजी नं 1779/198.....कुल किता 01.....रकबा 0-25-29.....हेक्टियर स्थित है। वादग्रस्त भूमि  
विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता  
जा है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07-06-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का  
आदेश है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए  
आदेश की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम एकलिंगपुरा पटवार  
का बरठा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 1779/198  
कुल किता 01.....रकबा 0-25-29 हेक्टियर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये  
जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बरठा  
500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में भौके व कब्जे  
को यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खाडी होने पर  
पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की  
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा